11/02/25 पत्रावली पेश हुई इस प्रा० पत्र से संबंधित मूल वाद अदम पैरवी, अदम हाजरी में खारिज किया जा चुका है ऐसे में इस प्रार्थना-पत्र का अब कोई औचित्य नहीं रहता है साथ ही वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं को एक-एक कर बार-बार आवाज लगाये जाने के बाद भी अनुपस्थित रहे। अतः इस प्रा० पत्र को मूल वाद के खारिज होने व अदम पैरवी / अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Rajendra